रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73 REGISTERED No. D. (D.N.)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 19, 1983/ माघ 30, 1904
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 19, 1983/MAGHA 30, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1982

सा०का०नि० 143—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के आदेश 27 के नियम 8 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय, की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1412 तारीख 25 नवम्बर 1960 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में केरल से संबंधित मद 5 की उपमद (ख) के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :—

"(ख) त्रिवेन्द्रम में जिला और अधीनस्थ न्यायालय	श्री एस० सैयद अहमद, केन्द्रीय सरकार के प्लीडर
(ग) अन्य न्यायालय	सरकार का जिला प्लीडर

[फा० सं० 34(3)81—जूडि०]

के०सी०डी० गंगवानी, अपर विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 16th October, 1982

G.S.R. 143.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8 of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Law No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely :—

In the Schedule to the said notification, in item 5 relating to Kerala, for the existing entry against sub-item (b), the following entries sall be substituted, namely :—

"(b) District and Subordinate Courts in Trivendrum.	Sh. S. Syed Ahmed, Central Government Pleader.
(c) Other Courts.	District Government Pleader."

[F. No. 34(3)/81-Judl]

K.C.D. GANGWANI, Addl. Legal Adviser

मूल नियम भारत सरकार के निर्माण आवास और पुनर्वास मंत्रालय (निर्माण और आवास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1330 तारीख 6 मई, 1963 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

[फा० सं० 12035(1)/82-नीति-II]

आर० एम० सूद, उप निदेशक, संपदा (नीति)

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 1st February, 1983

G.S.R. 159.—In exercise of the powers conferred by rule 45 of Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Amendment Rules 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Allotment of Government Residence (General Pool in Delhi) Rules, 1963, for Supplementary Rule 317-8-22, the following rule shall be substituted, namely :—

Overstayal in residence after cancellation of allotment.—SR-317-8-88.—Where, after an allotment has been cancelled or is deemed to be cancelled under any provision contained in these rules, the residence remains or has remained in occupation of the officer to whom it was allotted or of any person claiming through him, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services, furniture and garden charges, equal to the market licence fee as may be determined by Government from time to time, or twice the licence fee he was paying, whichever is higher :

Provided that an officer, who was paying licence fee under FR-45-A may, in special cases, be allowed by the Directorate of Estates to retain a residence for a period not exceeding six months beyond the period permitted under SR-317-B-11(2) on payment of twice the standard licence fee under FR-45-A or twice the pooled standard licence fee under FR-45-A whichever is higher but not exceeding 30 per cent of the emoluments (as defined under FR-45-C) last drawn by the officer. In the case of an officer who was not paying licence fee under FR-45-A, he may be allowed to retain a residence for the same period on payment of twice the standard licence fee under FR-45-A or twice the pooled standard licence fee under FR-45-A or twice the licence fee that he was paying, whichever is the highest."

Principal rules were published under the notification of the Government of India in the Ministry of Works, Housing and Rehabilitation (Department of Works and Housing) No. S. O. 1330 dated the 6th May, 1963.

[File No. 12035(1)/82-Pol. II]

R. S. SOOD, Dy Director of Estates (Policy)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th January, 1983

G.S.R. 160.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. G.S.R. 1097 dated the 9th September, 1980, published in the Gazete of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 18th October, 1980 in the entry under column 3 of the Schedule at page 2253 for "Ministerial" read "Non-Ministerial".

[No. 12019/1/78-B(A)-Part-III]

J. L. MATHUR, Under Secy

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1983

सा० का० नि० 161:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मुख्य खान सलाहकार का संगठन, रेलवे बोर्ड धनबाद भर्ती नियम, 1966 के अतिक्रमण में कृत्याकृत्य को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा मुख्य खान सलाहकार का संगठन, रेलवे बोर्ड, धनबाद में समूह 'क' और 'ख' के पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :— (1) ये नियम भारतीय रेल मुख्य खान सलाहकार का संगठन, रेलवे बोर्ड, धनबाद (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम 1983 कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :— उल्लिखित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है ।

अनर्हताएं :— कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति, जिसका कोई पति/पत्नी जीवित हो, से विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो, या

(ख) जिसने एक पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुमेय है तथा ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. शिथिल करने का अधिकार — यदि केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या कालोचित हो तो वह इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी श्रेणी या कोटि के व्यक्तियों के लिए शिथिल करने का आदेश दे सकती है ।